



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112023-250212
CG-DL-E-22112023-250212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4813]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2023/अग्रहायण 1, 1945

No. 4813]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2023/AGRAHAYANA 1, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2023

का.आ. 5022(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को स्टील वायर्स या स्टैंड, नायलॉन या वायर रोप्स और वायर मेश (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक के अनुरूप एवं मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
स्टील वायरस या स्ट्रैंड, नायलॉन या वायर रोप्स और वायर मेश	2266:2019	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए स्टील वायर रोप्स
	2365:2018	लिफ्ट, एलिवेटर्स और होइस्ट्स के लिए सस्टील वायर सस्पेंशन रोप्स
	1855:2022	खदानों में वाइंडिंग और मैन राइडिंग हॉलिजेज के लिए स्ट्रैंडण्डेड स्टील वायर रोप्स
	1856:2005	हॉलिज प्रयोजनों के लिए स्टील वायर रोप्स
	2141:2000	हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टे स्ट्रैंड
	4521:2001	तेल के कुंओं और तेल के कुंओं की ड्रिलिंग में प्रयोग किये जाने वाले वायर रोप्स
	6590:1972	पर्वतारोहण प्रयोजनों के लिए ब्रेडेड नायलॉन रोप्स
	278:2009	फेंसिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील बार्बड वायर
	16014:2018	सिविल इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए मैकेनिकली वुवेन, डबल-ट्विस्टेड, हेक्सागोनल वायर मेश गबियन्स, रिबेट मैटरेसेस एवं रॉकफॉलनेटिंग और अन्य प्रोडक्ट्स (गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर अथवा पॉलिमर कोटिंग के साथ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर)

नोट— इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/3/2023— एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 21st November, 2023

S.O. 5022(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) This order may be called the Steel Wires or Strands, Nylon or Wire Ropes and Wire mesh (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in Official Gazette.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

Provided that in relation to micro enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of Section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve month from the date of publication of this notification.

Provided that in relation to small enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of Section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine month from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention. – Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Steel Wires or Strands, Nylon or Wire Ropes and Wire mesh	2266:2019	Steel Wire Ropes for General Engineering Purposes
	2365:2018	Steel Wire Suspension Ropes for Lifts, Elevators and Hoists
	1855:2022	Stranded steel wire ropes for winding and man –riding haulages in mines
	1856:2005	Steel Wire Rope for haulage
	2141:2000	Hot Dip Galvanized Stay Strand
	4521:2001	Wire Ropes Used in Oil Wells and Oil Well Drilling
	6590:1972	Braided Nylon Ropes for Mountaineering Purposes
	278: 2009	Galvanized Steel Barbed Wire for Fencing
	16014:2018	Mechanically Woven, Double- Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting and Other Rock Fall Netting and Other Products for Civil Engineering Purposes (Galvanized Steel Wire or Galvanized Steel Wire with polymer coating)

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P- 29026/3/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.